भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 850

गुरुवार, दिनांक 06 फरवरी, 2020 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु तय लक्ष्य</u>

850. श्री तालारी रंगैय्याः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्ष 2019 तक के लिए सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु तय लक्ष्य हासिल कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इसकी भरपाई के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख): सरकार ने दिसम्बर, 2022 तक 100 गीगावाट ग्रिड संबद्ध सौर विद्युत क्षमता संस्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष-वार/राज्य-वार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार देश में ग्रिड संबद्ध 33,730.53 मेगावाट की संचयी क्षमता संस्थापित की गई है। इसके अलावा, 22940 मेगावाट की सौर परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं तथा 29470 मेगावाट के लिए निविदा तैयार की जा रही है। 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार देश में संस्थापित ग्रिड संबद्ध सौर विद्युत का राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग) सौर विद्युत क्षेत्र की मुख्य चुनौतियों में, कुछ राज्यों में वितरण कंपनियों द्वारा भुगतान में विलंब, संबंधित राज्य विद्युत नियमन आयोगों द्वारा टैरिफ लागू करने में विलंब, भूमि की उपलब्धता, कुछ राज्यों की प्रतिकूल नीतियां शामिल है। इन चुनौतियों का सामना करने और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं -

1) भारतीय विद्युत ग्रिड कोड 2010 के प्रावधानों के अनुसार राज्य डिस्कॉम को विद्युत खरीद करार (पीपीए) का पालन करने तथा पवन और सौर विद्युत परियोजनाओं को 'मस्ट रन' स्टेटस प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2) राज्य वितरण कंपनियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को देरी से भुगतान करने के मामलों के समाधान हेतु सरकार ने विद्युत मंत्रालय के दिनांक 28.06.2019 के आदेश सं. 23/22/2019-आरएंडआर के द्वारा विद्युत

लाइसेंस धारकों से विद्युत खरीद करार के तहत भुगतान सुरक्षा प्रणाली के रूप में, यदि ऐसी व्यवस्था है, तो वितरण लाईसेंस धारकों को पर्याप्त लेटर्स ऑफ क्रेडिट तैयार करना तथा बनाए रखना अनिवार्य किया है।

3) सौर विद्युत उत्पादकों और खरीदारों के बीच अनुबंध (विद्युत खरीद करार) के संविदात्मक प्रावधानों को मजबूत करने तथा अक्षय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं के संस्थापन को सरल बनाने के उद्देश्य से सरकार ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की दिनांक 22.10.2019 की अधिसूचना द्वारा 'ग्रिड संबद्ध सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश' में निम्नलिखित प्रमुख संशोधन किए हैं -

   i. सौर विद्युत उत्पादकों को सौर विद्युत उत्पादन के नाम पर पीपीए की पूरी अविधि तक भूमि का कब्जा करने/आवश्यक भुमि का 100% (सौ प्रतिशत) उपयोग करने के हक के लिए शुरू करने की निर्धारित तिथि (एससीडी) या उससे पहले दस्तावेज/लीज करार जमा करने की अनुमति दी गई है।

   ii. प्राकृतिक और गैर-प्राकृतिक अप्रत्याशित घटना के मामले में प्रभावित पक्ष के लिए समयावधि बढ़ाने और मुआवजा देने के संबंध में स्पष्ट और विस्तृत प्रावधान जिनके साथ प्राकृतिक और गैर-प्राकृतिक अप्रत्याशित घटनाओं के कारण निरस्त करने संबंधी विशिष्ट प्रावधान भी शामिल किये गए हैं।

   iii. बैक-डाउन के लिए मुआवजे की मात्रा को 50% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है जिसमें बैक-डाउन के केवल लिखित अनुदेशों को मान्यता का प्रावधान है।

   iv. वित्तीय समापन की निष्पति की तिथि और शुरू होने की निर्धारित तिथि में उसके अनुसार समयावधि में विस्तार करना, यदि संबंधित विदयुत विनियामक आयोग द्वारा ऐसे प्रशुल्क अपनाने में आवेदन दाखिल करने के 60 दिनों से अधिक की देरी होती है।

'सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु तय लक्ष्य' के संबंध में पूछे गए दिनांक 06.02.2020 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 850 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

ग्रिड संबद्ध सौर परियोजनाओं के चालू होने की दिनांक 31.122019 तक की स्थिति

क्रम सं.	राज्य / संघ शासित प्रदेश	संचयी क्षमता (मेगावाट में)
1	अंडमान और निकोबार	12.19
2	आंध्र प्रदेश	3559.02
3	अरुणाचल प्रदेश	5.61
4	असम	41.23
5	बिहार	149.35
6	चंडीगढ़	36.99
7	छत्तीसगढ़	231.35
8	दादर और नगर	5.46
9	दमन और दीव	16.56
10	दिल्ली	156.12
1 1	गोवा	4.78
12	गुजरात	2763.55
13	हरियाणा	249.27
14	हिमाचल प्रदेश	32.57
15	जम्मू और कश्मीर	19.30
16	झारखंड	38.40
17	कर्नाटक	7274.92
18	केरल	141.75
19	लक्षद्वीप	0.75
20	मध्य प्रदेश	2237.48
21	महाराष्ट्र	1663.42
22	मणिपुर	4.58
23	मेघालय	0.12
24	मिजोरम	1.52
25	नगालैंड	1.00
26	ओडिशा	397.84
27	पांडिचेरी	5.51
28	पंजाब	947.10
29	राजस्थान	4844.21

30	सिक्किम	0.07
31	तमिलनाडु	3788.36
32	तेलंगाना	3620.75
33	त्रिपुरा	9.41
34	उत्तर प्रदेश	1045.10
35	उत्तराखंड	315.49
36	पश्चिम बंगाल	109.41
कुल		**33730.53**

***